उत्तराखण्ड शासन
शहरी विकास अनुभाग–03
संख्याः 1537 / IV(3) / 2024–11(3 निर्वा0) / 2024
देहरादूनः दिनांक 23 दिसम्बर, 2024

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 (T) में नगर पालिकाओं में स्थानों के आरक्षण के सम्बन्ध में निम्नवत् प्रावधान है :–

(1) प्रत्येक नगरपालिका में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगें और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात, उस नगरपालिका में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो उस नगरपालिका क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की या उस नगरपालिका क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है और ऐसे स्थान किसी नगरपालिका में भिन्न भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चकानुक्रम से आंबटित किए जा सकेंगे।

(2) खंड (1) के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई स्थान, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे।

(3) प्रत्येक नगरपालिका में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई स्थान (जिनके अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी है) स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे और ऐसे स्थान किसी नगरपालिका के भिन्न–भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम में आवंटित किए जा सकेंगे।

(4) नगरपालिकाओं में अध्यक्षों के पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए ऐसी रीति से आरक्षित रहेंगे जैसा कि राज्य विधानमंडल विधि द्वारा उपबंधित करे।

(5) खंड (1) और (2) के अधीन स्थानों का आरक्षण तथा खंड (4) के अधीन अध्यक्षों के पदों का आरक्षण (महिलाओं के लिए आरक्षण से भिन्न है) अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा।

(6) इस भाग की कोई बात किसी राज्य के विधानमंडल को पिछड़े हुए के नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष मे किसी नगरपालिका में स्थानों के या नगरपालिकाओं में अध्यक्षों के पदो के आरक्षण के लिए कोई उपबंध करने से नहीं रोकेगी।

2– मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में योजित रिट पिटीशन (सिविल) संख्या–278 / 2022 सुरेश महाजन बनाम मध्यप्रदेश राज्य एवं अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक–10.05.2022 के अनुपालन में राज्य के भीतर प्रति स्थानीय निकायों के अन्तर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग के पिछड़ेपन की प्रकृति और निहितार्थों की समसामायिक कठोर

अनुभवजन्य जांच हेतु श्री बी0एस0 वर्मा, सेवानिवृत्त मा0 न्यायाधीश, मा0 उच्च न्यायालय की अध्यक्षता में गठित एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की संस्तुतियों के आलोक में तथा उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 की धारा 9क की उपधारा (5) सपठित उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916) (संशोधन) अधिनियम, 2024, भारत के संविधान की संगत धाराओं द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड राज्य की नगरपालिका परिषदों में सामान्य निर्वाचन, 2024 हेतु अध्यक्ष पदों का आरक्षण एवं आवंटन किये जाने के उद्देश्य से पूर्व प्रकाशित प्रारूप/अधिसूचना संख्या–1498/IV(3)/2024–11(3 निर्वा0)/2024, दिनांक–14.12.2024 के क्रम में प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों को आदेश संख्या–1533/IV(3)/2024–11(3 निर्वा0)/2024, दिनांक 22.12.2024 द्वारा निस्तारित किये जाने के उपरान्त नगरपालिका परिषदों के अध्यक्ष पदों का निम्नवत आरक्षण एवं आवंटन निर्धारित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते है :–

नगर पालिका परिषदों के अध्यक्ष पदों का आरक्षण एवं आवंटन		
क्र0सं0	नगर पालिका परिषद का नाम	अध्यक्ष पद का आरक्षण/आवंटन
1.	नगर पालिका परिषद, विकासनगर	अनुसूचित जनजाति
2.	नगर पालिका परिषद, मसूरी	अन्य पिछड़ी जाति (महिला)
3.	नगर पालिका परिषद, हरबर्टपुर	अन्य पिछड़ी जाति (महिला)
4.	नगर पालिका परिषद, डोईवाला	अनारक्षित
5.	नगर पालिका परिषद, मंगलौर	अन्य पिछड़ी जाति
6.	नगर पालिका परिषद, लक्सर	अन्य पिछड़ी जाति
7.	नगर पालिका परिषद, शिवालिकनगर	अनारक्षित
8.	नगर पालिका परिषद, उत्तरकाशी	अन्य पिछड़ी जाति
9.	नगर पालिका परिषद, बडकोट	अन्य पिछड़ी जाति
10.	नगर पालिका परिषद, चिन्यालीसौड़	अनुसूचित जाति
11.	नगर पालिका परिषद, पुरोला	अनुसूचित जाति
12.	नगर पालिका परिषद, चमोली–गोपेश्वर	अनारक्षित
13.	नगर पालिका परिषद, जोशीमठ	अन्य पिछड़ी जाति (महिला)
14.	नगर पालिका परिषद, गौचर	अनारक्षित
15.	नगर पालिका परिषद, कर्णप्रयाग	अनुसूचित जाति
16.	नगर पालिका परिषद, टिहरी	अनारक्षित
17.	नगर पालिका परिषद, चम्बा	अन्य पिछड़ी जाति (महिला)
18.	नगर पालिका परिषद, देवप्रयाग	अनुसूचित जाति (महिला)
19.	नगर पालिका परिषद, मुनिकीरेती–ढालवाला	महिला
20.	नगर पालिका परिषद, रूद्रप्रयाग	अनारक्षित

86

21.	नगर पालिका परिषद, पौड़ी	महिला
22.	नगर पालिका परिषद, दुगड्डा	महिला
23.	नगर पालिका परिषद, धारचूला	अन्य पिछड़ी जाति (महिला)
24.	नगर पालिका परिषद, डीडीहाट	अनारक्षित
25.	नगर पालिका परिषद, गंगोलीहाट	अनारक्षित
26.	नगर पालिका परिषद, बेरीनाग	महिला
27.	नगर पालिका परिषद, टनकपुर	अन्य पिछड़ी जाति
28.	नगर पालिका परिषद, चम्पावत	महिला
29.	नगर पालिका परिषद, लोहाघाट	अनारक्षित
30.	नगर पालिका परिषद, रानीखेत–चिनियानौला	अनारक्षित
31.	नगर पालिका परिषद, बागेश्वर	अनारक्षित
32.	नगर पालिका परिषद, नैनीताल	महिला
33.	नगर पालिका परिषद, रामनगर	अनारक्षित
34.	नगर पालिका परिषद, भवाली	अनुसूचित जाति
35.	नगर पालिका परिषद, भीमताल	अनुसूचित जाति (महिला)
36.	नगर पालिका परिषद, कालाढूंगी	महिला
37.	नगर पालिका परिषद, गदरपुर	अनारक्षित
38.	नगर पालिका परिषद, जसपुर	अन्य पिछड़ी जाति
39.	नगर पालिका परिषद, सितारगंज	अन्य पिछड़ी जाति
40.	नगर पालिका परिषद, खटीमा	अनारक्षित
41.	नगर पालिका परिषद, महुआखेडागंज	अन्य पिछड़ी जाति
42.	नगर पालिका परिषद, नगला	अनारक्षित
43.	नगर पालिका परिषद, बाजपुर	अनारक्षित

(गौरव कुमार)
अपर सचिव।

संख्याः 1537 (1)/IV(3)/2024–11(3 निर्वा0)/2024, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि – निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को उत्तराखण्ड आगामी असाधारण गजट में प्रकाशित कर उसकी 50–50 प्रतियां सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन एवं निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, देहरादून को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

(प्रदीप कुमार शुक्ल)
उप सचिव।

संख्याः 1537 (2)/IV(3)/2024–11(3 निर्वा0)/2024, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, देहरादून।

2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।

3. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड, देहरादून।

4. निजी सचिव, मा0 शहरी विकास मंत्री जी को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ प्रेषित।

5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।

6. निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून ।

7. आयुक्त, कुमायूं/गढ़वाल मण्डल।

8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

9. अधिशासी अधिकारी, समस्त नगर पालिका परिषद, उत्तराखण्ड (द्वारा शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून)।

10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रदीप कुमार शुक्ल)
उप सचिव।